FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

...अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........

प्रार्थी बनाम	विप्रार्थीगण
1. रामाराम पुत्र मोटाराम जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. मोहन पुत्र गोरखा वगैरा (17) 18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार 19. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. मु0नं0...176/22.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अह... इस हुक्म की तामील हुए
29.08.2022	प्रार्थी रामाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री डालूराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण मोहन वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत .धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9, 14 से 16 के पूर्वज मोटा पुत्र हरदा केनाम ग्राम तेयियावासके खसरानम्बर 64 रकबा 33–08 बीघा, खसरा नम्बर 80 रकबा 91 बीघा, खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बिस्वा व ग्राम रामजी का गोल के खसरा नम्बर 50 रकबा 22–08 बीघा की भूमि वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई तत्पश्चात मोटाराम के स्वर्गवास होने से मोटाराम के स्थान पर प्रार्थी व उनके भाई गुमना, पुरखा, गोरखा, गोमद एवं दमा के नाम दर्ज हुई। खसरा नम्बर 80 व 64 के बीच सेटलमेंट में मार्ग होने से अलग अलग खसरा नम्बर दर्ज हुए। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों का आपस में बंटवारा करने के बाद खसरा संख्या 80 रकबा 91–00 बीघाभूमि के बीच में से बाड़मेर से सांचोर जाने वाली सड़क निकलने पर खसरा नम्बर 80 दो भागों में विभक्त हो गया तथा कुछ अन्तराल के पश्चात पक्षकारान द्वारा कुछ हिस्से का बेचान करने पर खसरा नम्बर 129/80, 139/80 व 80/2 नवसृजित हुए। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को भी बेचान करने पर आमदा है प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने एवं विप्रार्थीगण से अलग घोषित करवाकर शेष प्रतिवादीगण से विभाजित करवाने हेतु घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी से बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, हिस्से खुले हुए हैं तथा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। चूंकि प्रार्थी बकील की बहस अनुसार विप्रार्थीगण बिना बंटवाडा करवाये भूमि को बेचान कर प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ... प्रार्थी के पक्ष में निहित है, प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड ... होने एवं विवादित भूमि पैतृक होने से सुविधा का ... प्रार्थी के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को एतद् द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम तेजियावास के खसरा नम्बर 139/80 रकबा 11–08 बीघा, खसरा नम्बर 64 रकबा 33–08 बीघा, खसरा नम्बर 129/80 रकबा 9.3644 खसरा नम्बर 79 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 129/80 रकबा 9.3644 हैक्टेयर एवं ग्राम रामजी का गोल के खसरा नम्बर 50 रकबा 22–08 बीघा भूमि के मौंके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.10.2022 को पेश हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार/उपपंजीयक गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ... जो इस हु... में ...
5/7/23	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्य में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 11/8/23 को पेश हो ।	
11/8/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी विपक्षीगण के सम्मन रजि. डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 11/10/23 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर, [illegible]	
11/10/23	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 9/2/24 को पेश हो ।	
9/2/24	पत्रावली पेश। पत्रावली अदमपैरवी में खारिज की जाती है। [signature] सहायक कलेक्टर, [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested